न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बईजलास– श्री अरूण कुमार पुरोहित,आई.ए.एस.

रसद मामला संख्या– 205/2024
जी.सी.एम.एस.पोर्टल नम्बर–2024/250

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थी**
राजस्थान सरकार जरिये शिवराम चौधरी, प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) जिला रसद कार्यालय, नागौर		1. श्री मोहम्मद तारीक पुत्र श्री असगरअली निवासी–सदर बाजार बासनी तह0नागौर

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) श्री शिवराम चौधरी।
2. अप्रार्थी बावजूद तामिल अनुपस्थित।

:: निर्णय :: **दिनांक :–** 29.01.2025

1. प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में प्रकरण मे जब्तसुदा 5 गैस सिलेण्डर मय गैस को राजसात करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया।
2. अप्रार्थी को जरिऐ नोटिस वास्ते जबाब देही तलब किया गया। गैर सायल बावजूद पर्याप्त नोटिस तामिल के अनुपस्थित रहने से गैर सायल के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई हैं।
3. उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) ने बहस में कथन किया कि घरेलू गैस की व्यवसायिक दुरूपयोग की रोकथाम बाबत नागौर शहर एवं आसपास क्षेत्र में जिला रसद अधिकारी, नागौर के आदेशानुसार मैं शिवराम चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक,श्री रामनिवास बेरवाल,श्री बजरंग एवं श्री जितेन्द्र बंशीवाल प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा सदर बाजार स्थित अल बुराक होटल पहुंचकर घरेलू गैस के अवैध भण्डारण/व्यापार/दुरूपयोग की आकस्मिक जांच की कार्यवाही की। मौके पर होटल प्रबन्धक श्री मोहम्मद तारीक पुत्र श्री असगर अली निवासी–बासनी की उपस्थिति में मौके से 5 घरेलू गैस सिलेण्डर डिटेन किये गये । श्री मोहम्मद तारीक से घेरलू गैस के भण्डारण,विकय एवं व्यापार से सम्बन्धित किसी प्रकार के दस्तावेज व अनुज्ञापत्र के बारे में पूछताछ करने पर इनके पास घरेलू गैस के भण्डारण व व्यापार से सम्बन्धित किसी प्रकार का आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र नहीं होना अपने बयानों में स्वीकार किया हैं। श्री मोहम्मद तारीक द्वारा किसी प्रकार के आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं करने पर भण्डारित किये गये 5 घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर मय गैस को अवैध मानते हुए मौके पर जब्त सरकार किया गया। जब्त किये गये सिलेण्डरों का विवरण निम्नानुसार हैं :–

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

क्र.सं.	नाम कम्पनी	एस.आर.नं.	गैस वजन
1	एचपीसीएल	367316-S	0
2	एचपीसीएल	138947-T	0
3	एचपीसीएल	220946-P	0
4	एचपीसीएल	112351-T	06 किग्रा
5	एचपीसीएल	079367-T	03 किग्रा

उपरोक्त 5 गैस सिलेण्डरों को मय गैस मौके पर जब्त सरकार कर मैसर्स गरीब नवाज एचपी गैस सर्विस,बासनी से प्रतिनिधि श्री मोहम्मद एजाज की सुपुर्दगी मे दिये गये है। इस प्रकार श्री मोहम्मद तारीक का यह कृत्य लिक्वीफाइड पैट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर,–2000 के क्लॉज 3 (c), 7(1)(a),(b),(c) का स्पष्ट उल्लघंन हैं जो आवश्यक वस्तु अधिनियम ए 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रकरण मे जब्तसुदा 5 गैस सिलेण्डर मय गैस को धारा 6 ए, आवश्यक वस्तु अधिनियमए 1955 के अन्तर्गत, समपहरण (Confiscation) के आदेश प्रदान किया जावें।

4. अप्रार्थी बावजूद तामिल गैर हाजिर रहा हैं। अप्रार्थी द्वारा वक्त कार्यवाही एवं उसके बाद इस न्याायलय में किसी प्रकार वैध दस्तावेज इन गैस सिलेण्डरों के पेश नहीं किये गये हैं,जिससे प्रार्थना–पत्र में दर्ज तथ्यों की पुष्टि होती हैं।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध मौका फर्द अनुसार टीम द्वारा मौके पर 05 घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर भण्डारण किये हुए पाये गये। श्री मोहम्मद तारीक से घरेलू गैस के भण्डारण एवं विक्रय से सम्बन्धित किसी प्रकार के दस्तावेज व अनुज्ञापत्र के बारे मे पूछताछ करने पर इनके पास घरेलू गैस के भण्डारण से सम्बन्धित किसी प्रकार के आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र नही होना स्वीकार किया। इस फर्द पर अप्रार्थी स्वयं के हस्ताक्षर हैं। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा बिना किसी आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र के घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर का भण्डार किया जा रहा था,जिसे टीम द्वारा विधिक कार्यवाही करते हुवे जब्त किया गया हैं। इसलिए प्रार्थना–पत्र प्रार्थी का स्वीकार किया जाकर प्रकरण मे जब्तसुदा 5 गैस सिलेण्डर मय गैस को धारा 6 ए, आवश्यक वस्तु अधिनियमए 1955 के अन्तर्गत, समपहरण (Confiscate) के आदेश प्रदान किये जाते हैं। उक्त जब्त सुदा 05 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस का कीमतन निस्तारण करने का जिला रसद अधिकारी,नागौर को निर्देश दिया जाता हैं। उक्तानुसार प्राप्त राशि राजकीय राशि घोषित की जाती हैं आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी,नागौर को पालनार्थ भिजवाई जावें।

6. निर्णय आज दिनांक 29.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

(अरूण कुमार पुरोहित)
जिला कलक्टर,
कलक्टर नागौर
नागौर